रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 216] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 12, 2013/श्रावण 21, 1935
No. 216] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 12, 2013/SHRAVANA 21, 1935

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2013

फा. सं.2-15015/30/2012.—खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारबार के लिए अनुज्ञप्ति और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए कतिपय विनियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिनको केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 31 के साथ पठित धारा 92 की उप-धारा (2) के खंड (ण) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा;

प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर विचार किया जाएगा ;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, खाद्य और ओषधि प्रशासन भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को भेजे जा सकेंगे ।

प्रारूप विनियम

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारबार के लिए अनुज्ञप्ति और रजिस्ट्रीकरण) संशोधन विनियम, 2013 है ।

(2) ये उनके राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारबार के लिए अनुज्ञप्ति और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 के विनियम 2.1 में,-

(क) खाद्य कारबार के लिए अनुज्ञप्ति से संबंधित उपविनियम 2.1.2 के खंड (1) में -

(i) पहले परंतुक में, 'एक वर्ष के भीतर' शब्दों के स्थान पर, 'तीस मास के भीतर' शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) दूसरे परंतुक में,-

(अ) 'अन्यथा' शब्द के स्थान पर, 'अन्य नया खाद्य कारबार प्रचालक जिसने खाद्य कारबार 5 अगस्त, 2011 के पश्चात् आरंभ किया है' शब्द रखे जाएंगे ;

(आ) 'एक वर्ष के भीतर' शब्दों के स्थान पर, 'तीस मास के भीतर' शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपविनियम 2.1.7 में-

(i) खंड (4) का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (5) में, "या 2.1.7(4)" शब्द और अंकों का लोप किया जाएगा ;

(ग) उपविनियम 2.1.13 के खण्ड (1) में, 'अनुज्ञप्ति' शब्द के स्थान पर, 'विनिर्माता जिसे अनुज्ञप्ति जारी की गई है' शब्द रखे जाएंगे ।

दिल्लीप कुमार सामन्तराय, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन III/4/असा./187-ओ/13]

टिप्पण :- मूल विनियम अधिसूचना सं. 2-15015/30/2010 तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किए गए थे ।